धारा 94 : अन्य मामलों में दायित्व

(1) जहां कराधेय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है,–

(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे किया जाएगा मानो कारबार को बंद किया ही न गया हो; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा बंद किए जाने के होते हुए भी फर्म, संगम या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के संदाय के लिए और अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथकतः दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का अवधारण या शास्ति को उसे बंद किए जाने से पूर्व अधिरोपित किया गया है या बंद करने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों को ऐसे लागू होंगे मानो वह स्वयं कराधेय व्यक्ति था।

(2) जहां फर्म या व्यक्तियों के संगम के संगठन में कोई परिवर्तन होता है वहां फर्म के भागीदार या संगम के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान था और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा 90 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या संगम से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथकतः दायी होंगे।

(3) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, कराधेय व्यक्ति, जो विघटित हो गई फर्म या व्यक्तियों का संगम है, या जहां कराधेय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, ने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, वहां उस उपधारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का तदनुसार ऐसे विघटन या विभाजन के प्रति अर्थ लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,–

(i) ''सीमित दायित्व भागीदारी'', जिसे सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के उपबंधों के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को भी एक फर्म माना जाएगा;

(ii) ''न्यायालय'' से जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अभिप्रेत है।